



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी



E.Mail. pdpwduki@yahoo.com

Fax No- 01374-222108

Tel No- 01374-222108

पत्रांक 747/02सी०

दिनांक 20/05/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
कोट बंगला, वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषय:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के डुण्डा - धनारी - सेम - मुखेम मोटर मार्ग का पटुड़ी से आगे सेम नागराजा मन्दिर तक निर्माण। (लम्बाई 10.00 किमी०)

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 3887/12-1 कोट बंगला दिनांक 05/05/2021
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक इस मोटर मार्ग की स्वीकृति 2488/111(2)/06-3 मा०मु०घो०/2008 दिनांक 25/07/2008 के द्वारा 10 किमी० लम्बाई में रु० 367.50 लाख मात्र की स्वीकृति प्राप्त है।

यह मोटर मार्ग पटुड़ी से आगे 3 किमी० कच्चा निर्मित है। इसके अन्तिम छोर से उपरोक्त मोटर मार्ग प्रारम्भ होता है जिसमें 2.50 किमी भाग में फलदार वृक्षों के बगीचे व नकदी फसल की खेती की जाती है। उक्त मोटर मार्ग का निर्माण न होने से ग्रामीणों को अपनी उपज को मण्डी में पहुँचाने के लिये जो ढुलान आदि का भाड़ा अधिक होने के कारण बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पायेगा। जिस हेतु मा० विधायक गंगोत्री विधान सभा क्षेत्र द्वारा कार्य के शीघ्र निर्माण हेतु संस्तुति की गई है जिसमें इस मार्ग के निर्माण से उपली रमोली व जोगथ पट्टी के अधिकांश गांवों का सम्पर्क धनारी क्षेत्र से हो जायेगा। साथ ही उक्त कार्य का धार्मिक महत्व पांचवे धाम के तौर पर ख्याति प्राप्त है। उक्त स्वीकृति स्थानीय निवासी/ग्रामीणों की आस्था को देखते हुए सेम नागराजा मन्दिर से 2.00 किमी० पूर्व तक ही दी गई थी। क्योंकि मान्यता के अनुसार पैदल यात्रा आस्था का प्रतीक है। उत्तरकाशी जनपद एक सीमांत पर्वतीय क्षेत्र भी है, जिस कारण इस मोटर मार्ग के निर्माण से तीर्थाटन व पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही यमुना घाटी व इसके आसपास के श्रद्धालुओं को कम दूरी वाले आसान मोटर मार्ग का लाभ मिलेगा। भविष्य में यह मोटर मार्ग टिहरी जनपद से सेम मुखेम को जाने वाले मार्ग में संयोजित होने के फलस्वरूप राज्य मार्ग संख्या- 15 का वैकल्पिक मार्ग भी होगा। प्लायन रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा मार्गों को सुविधा देना प्राथमिकता में शामिल है। सड़क संयोजकता न होने की दशा में होने वाले प्लायन से इसके आसपास के ग्रामों की **Ghost village** होने की सम्भवना बनी है, जिससे उत्तराखण्ड सरकार की प्लायन रोकने की रणनीति का पालन नहीं हो पायेगा। मार्ग की स्वीकृति 2008 में प्राप्त है व इसी धनराशि में पूर्ण योजना को सम्पादित किये जाने हेतु वन भूमि स्वीकृति शीघ्र प्राप्त होने पर कार्य स्वीकृत धनराशि से पूर्ण किया जा सकेगा।

अतः मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपरोक्त के अनुसार महत्वपूर्ण बिन्दुओं को संज्ञान में रखते हुए औचित्य पूर्ण आख्या उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(इ० प्रवीन कुश)

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,

उत्तरकाशी।

पत्रांक /

दिनांक / /2022

प्रतिलिपि:- 1- मा० विधायक गंगोत्री, विधान सभा क्षेत्र को दिनांक 17/05/22 को आहूत बैठक के क्रम में सूचनार्थ एवं अग्रिम आदेशार्थ प्रेषित।

2- सहायक अभियन्ता -II को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,

उद्-पात्न

Office of the EE/DPMO U.S. Customs

No. 747/02 2A.

Dfo office
over

20/05/22